न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —129/2017

अनवान : —

1. नानूराम पुत्र मांड्डुराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी **वादी**
पेरोकार राज **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 एएमएस के खाता सं 33/26 के मु0 न0 49 के किला न0 11/1, 12, 13 ,14/1 कुल 0.632 है0 नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषी भूमि वादी नन्दूराम पुत्र माडूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी को उपर वर्णित भूमि विरासतन अपने पिता माडूराम से प्राप्त हुई। विरासतन दर्ज करते समय वादी का नाम नानूराम की जगह नन्दूराम पुत्र माडूराम दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही नाम नानूराम पुत्र माडूराम है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य सभी दस्तावेज नानूराम नाम से ही है। वादी का जन्म गांव निनाण तहसील भादरा में ही हुआ है। वादी का सभी दस्तावेजों में नाम नानूराम पुत्र माडूराम ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम नन्दूराम पुत्र माडूराम की जगह नानूराम पुत्र माडूराम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं 1 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में नानूराम पुत्र माडूराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 12 एएमएस सवंत 2072—75 प्रदर्श 1 ग्राम पंचायत निनाण द्वारा दिया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

गया प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 आधार कार्ड चित्रप्रति प्रदर्श 3ए व मूल प्रदर्श 3 बैंक खाता की पास बुक मूल प्रदर्श 4 व चित्रप्रति प्रदर्श 4ए राशन कार्ड मूल प्रदर्श 5 व चित्रप्रति राशन कार्ड प्रदर्श 5ए इसी प्रकार पहचान पत्र प्रदर्श 6 व चित्रप्रति पहचान पत्र 6ए तथा अकंतालिका आदि प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 12 एएमएस के खाता सं 33/26 के मु0 न0 49 के किला न0 11/1, 12, 13 ,14/1 कुल 0.632 है0 नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषी भूमि वादी नन्दूराम पुत्र माडूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो दादालाई व पैतृक कृषी भूमि है। जिसमें वादी का नाम विरासतन दर्ज करते समय सवंहन से नानूराम की जगह नन्दूराम पुत्र माडूराम दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही नाम नानूराम पुत्र माडूराम है। वादी ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो नानूराम पुत्र माडूराम नाम से ही है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एएमएस के खाता सं 33/26 के मु0 न0 49 के किला न0 11/1, 12, 13 ,14/1 कुल 0.632 है0 नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषी भूमि वादी नन्दूराम पुत्र माडूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी का सही नाम नन्दूराम की जगह नानूराम दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नन्दूराम की जगह नानूराम पुत्र माडूराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —129/2017

अनवान : —

1. नानूराम पुत्र मांड्डुराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1 राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकिल वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व प्रतिवादी पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा चक 12 एएमएस के खाता सं 33/26 के मु0 न0 49 के किला न0 11/1, 12, 13 ,14/1 कुल 0.632 है0 नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषी भूमि वादी नन्दूराम पुत्र माडूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी का सही नाम नन्दूराम की जगह नानूराम दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नन्दूराम की जगह नानूराम पुत्र माडूराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ